निर्णय बइजलास लोक अदालत/कोर्ट कैम्प श्री गोविन्दसिंह (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कोर्ट केम्प–ताल

सं0 21/16 प्रा0पत्र   निर्णय दिनांक :– 23.06.2016

अनवान

श्री धन्ना लाल पिता बालु जी बोला (रेगर) निवासी ताल तहसील देवगढ

———प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

——विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

पत्रावली आज दिनांक 23.06.2016 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत कोर्ट कैम्प ताल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सूचना पत्र तामिल हो शामिल पत्रावली है। पक्षकारान एवं गवाह श्री शिव लाल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया विवरण संक्षेप मे इस प्रकार है।

प्रार्थी ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ का निवासी है। प्रार्थी की सामलाती भूमि ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ में स्थित है जिसके खा0सं0 90/75, ख0नं0 308, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562/1, 565, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612/1 कुल किता 19 रकबा 69.12 बीघा है जो प्रार्थी की सामलाती भूमि है। प्रार्थी के खाते राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम लीलाधर पिता बालु दर्ज है। जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, टी0सी0 व मतदाता सूची में प्रार्थी का नाम धन्ना लाल पिता बालु दर्ज है। प्रार्थी वास्तव में धन्नालाल पिता बालु के नाम से हि जाना व पहचाना जाता है। प्रार्थी के अन्य समस्त रेकार्ड दसतावेज में धन्ना लाल पिता बालु दर्ज है। प्रार्थी वर्तमान दर्ज जमाबन्दी में लीलाधर पिता बालु बोला की बजाय धन्ना लाल पिता बालु बोला शब्द इन्द्राज दुरूस्ती चाहता है जो प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में दर्ज है। प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड की नकल लेने पर ज्ञात हुआ की प्रार्थी के खाते में लीलाधर पिता बालु नाम दर्ज है। जबकि प्रार्थी का नाम धन्ना लाल पिता बालु है जो प्रार्थी के अन्य दस्जावेजो में दर्ज है। प्रार्थी अपने राजस्व रेकार्ड में अपना नाम लीलाधर हटाया जाकर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

लाल पिता बालु दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में सही नाम धन्ना लाल दर्ज ने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी का मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी ये गये। प्रत्युत्तर में विपक्षी ने प्रकरण में कोई जवाब पेश किया। तत्पश्चात प्रकरण न्याय आपके द्वार क अदालत कोर्ट कैम्प ताल नियत की पुनः पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रार्थी नियत नांक को कैम्प में उपस्थित हुआ जिसने। जिसने साक्ष्य में निर्वाचक नामावली और फोटो पहचान पत्र धार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज व राशन कार्ड की प्रति पेश की तथा ग्राम पंचायत ताल द्वारा जारी माण पत्र पेश किया साथ ही गवाह श्री शिव लाल पिता बालुराम निवासी ताल के बयान करवाये।

हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजो तथा गवाह के बयानो अवलोकन किया तथा उस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो में उसका नाम धन्ना लाल पिता बालु राम दर्ज है। लेकिन ग्राम ताल पटवार हल्का की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में प्रार्थी का नाम लीलाधर पिता बालु राम दर्ज है।

उपर्युक्त दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम धन्ना लाल पिता बालु है। अतः ग्राम ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ का निवासी है। प्रार्थी की सामलाती भूमि ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ में स्थित है जिसके खा0सं0 90/75, ख0नं0 308, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562/1, 565, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612/1 कुल किता 19 रकबा 69.12 बीघा भूमि में प्रार्थी का दर्ज नाम लीलाधर को हटाये जाने एवं लीलाधर की बजाय धन्ना लाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कोर्ट कैम्प ताल में मझ में आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़